भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *336

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

गन्ना किसानों की बकाया राशि

***336. श्री राम शिरोमणि वर्मा :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की राज्यवार कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या चीनी मिलें हर वर्ष गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही हैं और इसके परिणामस्वरूप, उक्त राशि लगातार बढ़ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को मूल्य/बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *336 (16वां स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का कुल बकाया, वर्ष-वार और राज्य-वार **अनुबंध** पर संलग्न है।

(ख) और (ग): किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान करना एक सतत प्रक्रिया है और अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि गन्ना बकाया लगातार कम हो रहा है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार, संबंधित चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर चीनी मिलों के किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना आवश्यक है। गन्ना नियंत्रण (आदेश), 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास निहित हैं।

गन्ना किसानों की बकाया देयताओं का भुगतान सुविधाजनक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने समय-समय पर और जब भी आवश्यक हो, नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में विभिन्न कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. केंद्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।
ii. शर्करा की मिल-द्वार कीमतों में गिरावट और गन्ना बकाया के संचय को रोकने के लिए शर्करा का न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया था, (शुरुआत में दिनांक 07-06-2018 से 29/- रुपये प्रति किग्रा; जिसे दिनांक 14-02-2019 से 31/- रुपये प्रति किग्रा संशोधित कर दिया गया।)
iii. अधिशेष शर्करा के इथेनॉल उत्पादन हेतु डायवर्जन से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, वे गन्ने का बकाया जल्दी चुकाने में सक्षम हैं।

इसके परिणामस्वरूप, शर्करा मौसम 2022-23 तक लगभग 99.9% गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है। पिछले शर्करा मौसम 2023-24 में कुल 1,11,674 करोड़ रुपये के देय के गन्ना बकाया में से लगभग 1,10,399 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और दिनांक 13.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार केवल 1,275 करोड़ रुपये लंबित हैं; इस प्रकार लगभग 99% गन्ना बकाया चुका दिया गया है। वर्तमान शर्करा मौसम 2024-25 में, 11,141 करोड़ रुपये के कुल देय गन्ना मूल्य में से, किसानों को 8,126 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *336 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 13.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी मिलों द्वारा, गन्ना किसानों का कुल वर्ष-वार और राज्य-वार बकाया दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उत्तर प्रदेश	37	128	1212	574
महाराष्ट्र	32	10	2	526 (दिनांक 30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)
कर्नाटक	0	0	0	1405
तमिलनाडु	0	0	11	24
बिहार	0	0	0	159
उत्तराखंड	0	0	10	149
आंध्र प्रदेश	0	0	8	30
अन्य	28	0	32	148
कुल	**97**	**138**	**1275**	**3015**

****